न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बइजलास इन्द्राजसिंह R.A.S.

वाद सं. 1/2019

निर्णय दिनांक 20.12.19

1. हरलाल पुत्र छैलूराम] जाति जाट निवासी बैरासर छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. शकुन्तला पत्नी हरलाल]
— वादीगण

बनाम

[illegible] पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी बैरासर छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू
— प्रतिवादी

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 (1) के अधीन

उपस्थित :- 1. श्री शिवकुमार सिहाग अधिवक्ता वास्ते - वादीगण
2. एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी

निर्णय

प्रकरण से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 (1) के अधीन इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादी / अप्रार्थी प्रार्थीगण / वादीगण का पुत्र है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी का पालन पोषण किया / शिक्षा दिक्षा दिलाई तथा केरियर बनाया व शादी विवाह किया / अब अप्रार्थी प्रार्थीगण का बिना किसी कारण के परित्याग कर रखा है व प्रार्थीगण की देखभाल व भरण पोषण नही कर रहा है जबकि प्रार्थीगण काफी वृद्ध हो चुके है और किसी प्रकार की मजदूरी व कार्य करने में असमर्थ हो गये है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के शादी विवाह करने के लिए प्रार्थीगण को कर्जा लेना पड़ा व मकान भी बनवाये तथा बिमार भी रहते है, इन सब में हुए खर्चों के कारण प्रार्थीगण पर काफी रूपयों का कर्जा भी हो चुका है जिसको अप्रार्थी चुकता करने से इन्कार कर रहा है व इस से बचने के लिए अप्रार्थी अपने पुत्र धर्म का निर्वाह नही कर रहा है।

अप्रार्थी चालक का कार्य करता है जिसके पास स्वयं का ट्रेक्टर व

2

[signature]

उपखण्ड अधिकारी

गाड़ी है जिससे अप्रार्थी मनीष माह के 50,000/-रु. आय अर्जित करता है। आई कोर्ट पेश कर अप्रार्थी से माह के 20,000/- रूपये भरण पोषण तथा दवाईयों की व्यवस्था हेतु का अनुरोध चाहा गया है।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/अप्रार्थी को नियमानुसार तलब किया गया। अप्रार्थी/प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह दावा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5(1) के तहत जीवन की ऐसी आवश्यकताए जैसे आश्रम, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाए इत्यादि प्राप्त करने के लिए व जेब खर्च के साथ ही दिन-प्रतिदिन के गुजरा खर्च के लिए पेश किया गया है। वादपत्र का कोई खण्डन पेश नहीं किया गया है। अतः स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी/अप्रार्थी मनीष पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी बैरासर छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू वादीगण/प्रार्थीगण को जीवन की ऐसी आवश्यकताए जैसे आश्रम, भोजन, वस्त्र व चिकित्सा सुविधाए इत्यादि प्राप्त करने हेतु तीन-तीन हजार रुपये प्रत्येक को अदा करने का आदेश दिया जाता है। यदि किसी प्रक्रम पर द्वितीय पक्षकार उपरोक्त राशि उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो द्वितीय पक्षकार के विरुद्ध माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 और साथ ही तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जावेगी। प्रतिवादी/अप्रार्थी वादीगण/प्रार्थीगण के बैंक खाते में प्रत्येक माह राशि जमा कराना सुनिश्चित करें। तदनुसार आदेश की पालना हेतु आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)